32

10

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2017–18

I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा/2017/6376

2477

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक : संस्कृत पुस्तकोन्निति विद्यापीठ (समिति) सभा द्वारा सरवराकार/सचिव– स्वामी नरेन्द्र ब्रम्हचारी पिता श्री बद्री प्रसाद तिवारी, उम्र करीब 63 वर्ष, शिष्य संत श्री आशाराम संस्कृत पुस्तकोन्निति विद्यापीठ (समिति) द्वारा मुख्त्यारआम श्री रामकश्यप पिता स्व. खिचडू कश्यप, निवासी– ग्राम खजरी, तह. व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

डी० पी० मिश्रा
रीडर
06 DEC 2017
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

गैर–पुनरीक्षणकर्ता /अनावेदक : म.प्र. शासन, द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (व्यपवर्तन अधिकारी) छिन्दवाड़ा, तह. व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण कमांक–526/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 एवं विचारण न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के राजस्व प्रकरण कमांक 83/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2015 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों के साथ प्रस्तुत है:–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व के मालिक काबिज हक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – एक/निग0/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/6376 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/1/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निग0 आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 526/बी–121/14–15 में पारित आदेश दिनांक 16–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 16–9–16 को पारित किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 6–12–17 को अर्थात 14 माह विलंब से पेश की गई है । विलंब के संबंध में ना तो अवधि विधान की धारा 5 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है और ना ही तर्कों में इस प्रकार का कोई निवेदन किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि बाह्य होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । 3/ पक्षकार सूचित हों । प्रशा0 सदस्य	